बस यूं ही...

शांता पारेख, इन्दौर
9425311944

महान/मशहूर

महान व मशहूर होने मे फर्क है, महान वह होता जो किसी उद्देश्य विशेष के लिये अपना सबकुछ न्योछावर करदे चाहे उसका कोइ लाभ न हों, कोइ ध्यान दे न दे वह अनवरत अपना काम करता है. मशहूर होने के लिये सोशल मीडिया पे कुछ डालो फिर लोगो से उसे फॉलो, लाइक सब्स्क्राइब करने का निरंतर बोलते रहो, फिर लिखो इतने फॉलोवर है चर्चे ही चर्चे.

एक साधारण परिवार से आने वाले फिजिक्स आइआई टी मे पढ़ाने वाले अपने कार्यकाल मे फिजिक्स की एक पुस्तक इस तरह लिखी कि ये विषय कठिन प्रेत नहीं समझ की ट्रिक है, एक बार रस आगया तो इसके मुरीद हों जाओगे वह एकदम कम कीमत की हैंडबुक जैसी हर छात्र की पसंदीदा प्रिय पुस्तक हों गई वे छात्रों के भगवान हों गए, निवृत्ति के बाद पेंशन थी, वेतन पहले अच्छा ही था, उन्होंने गांव गांव जा कर अपने साधारण स्कूटर पे, कुछ गांव मे रुकते पंचायत भवन मे व छात्रों को निशुल्क फिजिक्स पढ़ाते अपने उसी तरीके से, गांव मे कोइ लैब नहीं होती पर स्थानीय संसाधनों से ट्रिक समझाते, पहले सारे लोग आर्ट्स व कामैर्स पढ़ते थे,

अब सबको साइंस ही पढ़नी थी, उन बच्चों को इंजेनियरिंग प्रवेश मिला आगे अच्छे पदो पे पहुंचे. सदा उन सर को मन मे बनाये रखा, करीब एक हज़ार गाँवो की किस्मत उन्होंने बदली, उनको कोइ पद्मश्री नहीं मिली, गांव के पालक खुश हों गए कि बिना संसाधनों के गणित फिजिक्स को सरल बनाने वाले ने हमारी तक़दीर बदल दी.

बस उन्होंने कोसेप्ट क्लियर करें, उसको आनंद बनाया, बोझ से मुक्ति मिली तो एक राह मिली उनके कई स्टूडेंट कहीं भी बैठ के किसी को भी वहीं समझा के अपना अतिरिक्त समय का उपयोग करते है. दक्षिणी राज्यों के गांव मे अलख जगाया वे वर्मा सर के नाम से जाने जाते है. वे जूनून महान बने, मशहूर नहीं हुये,गूगल पे वे नहीं है,मन मे कल्याण भावना होने से उन्हें शिवरूप मानना होगा. जमाना चाहे जितना खराब हों अच्छे काम करने वाले कभी खत्म नहीं होंगे।

30 साल से अधिक पुराने पट्टों को मिलेगा मालिकाना हक

नगरीय निकायों की आय बढ़ाने की तैयारी, लीज नियमों में बड़े बदलाव

इंदौर। प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्रों में लीज (पट्टे) पर आवंटित भूखंडों को फ्री-होल्ड कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने जा रही है। इसके लिए नगर पालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम-2016 में संशोधन की तैयारी अंतिम चरण में है। प्रस्तावित बदलावों के तहत लीजधारकों को मालिकाना हक प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन इसके लिए पहले की तुलना में अधिक शुल्क चुकाना पड़ेगा।

सरकार का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में फ्री-होल्ड की प्रक्रिया जटिल होने के कारण बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित रहते हैं। कई बार निकायों द्वारा प्रावधान होने के बावजूद लीजधारकों को फ्री-होल्ड की सुविधा नहीं मिल पाती, जिससे न केवल लोगों को परेशानी होती है बल्कि नगरीय निकायों को संभावित राजस्व से भी वंचित रहना पड़ता है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि की लीज वाले भूखंडों को फ्री-होल्ड करने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद संबंधित भूमि का पूर्ण स्वामित्व लीजधारक को मिल जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि अब लीज अवधि समाप्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लीजधारक अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित शर्तें पूरी कर किसी भी समय फ्री-होल्ड के लिए आवेदन कर सकेगा। हालांकि, जिन लीजों की अवधि 10 वर्ष से कम होगी, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी।

आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर बढ़ेगा शुल्क

नए प्रस्ताव के तहत आवासीय भूखंड को फ्री-होल्ड कराने के लिए बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत शुल्क बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत किया जाएगा। वहीं व्यावसायिक संपत्तियों के लिए यह शुल्क 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत प्रस्तावित है। यदि मास्टर प्लान में परिवर्तन के बाद कोई व्यक्ति भूमि उपयोग (लैंड यूज) बदलना चाहता है, तो उसे बाजार मूल्य का अधिकतम 11 प्रतिशत तक शुल्क चुकाना पड़ सकता है।

निकायों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस

नगरीय विकास एवं आवास विभाग पिछले तीन महीनों से नियमों में संशोधन की कवायद कर रहा था। विभाग का उद्देश्य एक ओर फ्री-होल्ड की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना है, वहीं दूसरी ओर नगरीय निकायों की आय में वृद्धि करना भी है। सूत्रों के अनुसार संशोधित नियम लागू होने के बाद आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार की संपत्तियों के पट्टों का नवीनीकरण तथा फ्री-होल्ड कराने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और समयबद्ध होगी।

लीजधारकों पर बढ़ेगा वित्तीय भार

नए नियमों में फ्री-होल्ड के लिए शुल्क संरचना में भी बदलाव प्रस्तावित है। यदि किसी भूखंड की लीज अवधि समाप्त होने में 10 वर्ष से कम समय बचा है, तब भी लीजधारक को न्यूनतम 10 वर्ष का किराया जमा करना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि लीज अवधि समाप्त होने में केवल छह वर्ष शेष हैं, तब भी छह वर्ष के बजाय 10 वर्ष का किराया देना पड़ेगा। वर्तमान व्यवस्था में कम अवधि के आधार पर शुल्क निर्धारित होता है। इससे फ्री-होल्ड कराने वालों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

30 दिन में शुल्क, 15 दिन में प्रमाण पत्र

प्रस्तावित नियमों के अनुसार फ्री-होल्ड के लिए आवेदन स्वीकृत होने के बाद लीजधारक को 30 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा होने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री की जाएगी और 15 दिन के भीतर फ्री-होल्ड प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

सरकार लीज रेंट व्यवस्था में भी बदलाव करने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार लीज रेंट की अवधि 30 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष की जाएगी। साथ ही पहले 10 वर्षों तक प्रीमियम का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत शुल्क लिया जाता था, जिसे समाप्त कर शुरुआती पांच वर्षों के लिए सीधे 2 प्रतिशत शुल्क लेने का प्रावधान किया जा रहा है। इस बदलाव से लीज रेंट की राशि बढ़ जाएगी और नगरीय निकायों की आय में भी वृद्धि होने की संभावना है।

राजस्व बढ़ाने और प्रक्रिया सरल करने की दोहरी कोशिश

सरकार का मानना है कि नए नियमों से एक ओर लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नगरीय निकायों के राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। हालांकि बढ़े हुए शुल्क और अतिरिक्त वित्तीय दायित्वों को लेकर लीजधारकों की प्रतिक्रिया पर भी सबकी नजर रहेगी।

निष्पक्ष

शुभम दुबे
स्तंभकार और राजनीतिक विश्लेषक

निचले पदों के लिए उच्च शिक्षित मजबूर क्यों

'ज्यादा पढ़ा-लिखा उम्मीदवार कम क्वालिफिकेशन वाली नौकरी नहीं कर सकता'

- सुप्रीम कोर्ट

माननीय उच्चतम न्यायालय का हालिया फैसला कानूनन और सामाजिक न्याय की दृष्टि से बेहद सूझबूझ भरा और स्वागत योग्य है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए आरक्षित पदों पर उच्च शिक्षित (Overqualified) उम्मीदवारों का तथ्य छुपाकर आना उन युवाओं के हकों पर डाका है, जिनके पास आजीविका का कोई दूसरा साधन या शैक्षणिक विकल्प नहीं है। देखा जाए तो यह निर्णय समानता के सिद्धांत को अक्षुण्ण रखता है क्योंकि एक 'पीएचडी' और एक 'दसवीं पास' युवा के बीच नौकरी की रेस कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकती। लेकिन इस कानूनी सिक्के का दूसरा पहलू देश की उस भयावह बेरोजगारी और व्यवस्थागत दोष की ओर इशारा करता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। विश्लेषण का मुख्य बिंदु यही है कि आखिर देश का उच्च शिक्षित वर्ग इन निचले पदों पर बैठने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है? यह केवल किसी व्यक्ति की इच्छा का मामला नहीं, बल्कि बाजार में उसकी उच्च योग्यता के अनुरूप सम्मानजनक और पर्याप्त रोजगार न होने की बेबसी है। जब लाखों रुपये खर्च करके हासिल की गई डिग्रियां दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी दो वक्त की रोटी की गारंटी नहीं दे पातीं, तो एक हताश युवा अपनी पहचान और डिग्रियां छुपाकर चपरासी या अटेंडेंट के फॉर्म भरने को मजबूर हो जाता है। यह विडंबना हमारी न्याय प्रणाली के लिए भी एक संवेदनशील संदेश है कि वह निष्पक्षता से निर्णय करने के साथ-साथ सरकारों को भी इस बुनियादी मर्ज का इलाज ढूंढने के लिए सचेत करे। यदि कोई इंजीनियर, एमबीए या पोस्ट-ग्रेजुएट स्तर का नागरिक किसी चतुर्थ श्रेणी पद की नौकरी के लिए अपनी योग्यता छुपाने जैसा आत्मघाती कदम उठा रहा है, तो यह उस युवा की नहीं, बल्कि देश की आर्थिक और नीतियां बनाने वाली व्यवस्था की नाकामी है। सरकार को इस बात का गहन विश्लेषण करना होगा कि हर साल लाखों की संख्या में निकल रहे कुशल और उच्च शिक्षित युवाओं के लिए उनकी योग्यता के अनुसार 'व्हाइट कॉलर' या उत्पादक नौकरियां क्यों पैदा नहीं हो पा रही हैं। रोजगार के मोर्चे पर जब तक यह असंतुलन दूर नहीं होगा, तब तक डिग्रियों का यह बोझ युवाओं को भीतर से तोड़ता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का वास्तविक सम्मान तभी संभव होगा, जब सरकारें इससे सबक लेकर ऐसी नीतियां बनाएं जहां हर युवा को उसकी शिक्षा के स्तर के अनुसार गरिमापूर्ण काम का अधिकार मिले, ताकि किसी भी 'इंजीनियर' को अपनी जीविका चलाने के लिए 'चपरासी' के पद की कतार में छिपकर न खड़ा होना पड़े।

सिरपुर विधान सभा मे 10 माह से पुलिया के अधूरे निर्माण से व्यापारियों और दूकानदारों का धंधा चौपट

इन्दौर। सिरपुर विधान सभा एक के वार्ड एक मे 9 माह से खेड़ा पति मंदिर के पास की पुलिया का अधूरा निर्माण पूरा नहीं होने के कारण रहवासी काफी परेशान है आस पास के व्यापारियो दुकानदारो का 9 माह से धंधा चौपट हो गया।

बिच सड़क पर बालू रेत मिट्टी पड़ी है हवा चलने पर रेत उड़ने से दूकानदारों और सब्जी फल फ्रूट बेचने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पुलिया के आस पास रेलिंग भी नहीं है पैदल चलने वालों को गिरने का डर हमेशा लगा रहता है जाकिर बेलीम समाजसेवी ने आगे बताया के रहवासियों को कांग्रेस के पूर्व पार्षद की याद आने लगी कांग्रेस के समय इतनी परेशानी नहीं आई जितनी भाजपा पार्षद के कार्यकाल मे 9 माह से पुलिया के अधूरे निर्माण के कारण आ रहीं है। भाजपा पार्षद के कार्यकाल मे ठेकेदार कभी काम करते कभी नहीं करते है पुलिया के अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण होने का रहवासियों और व्यापारियों को बड़ी बे सब्री से इंतजार है ताकि व्यापारियों और दूकानदारो की रोजी रोजगार चलता रहे, पुलिया के अधूरे निर्माण के कारण वाहनो एम्बुलेंस, पुलिस वाहन, मोटर सायकल अन्य मोटर विकल्प का आना जाना पूरी तरह इस पुलिया से बन्द है, लोगो को काफी घूम कर चंदू वाला रोड सम्राट नगर, अम्बर नगर से काफी घूम कर आना जाना पड़ रहा है रहवासियो और व्यापारियों दुकानदारों ठेला चालकों को पूरे 9 माह से परेशानी का सामना करना पड़ा है पुलिया के पास बिजली की डीपी टूटी दिवार पर लगी है कभी भी दिवार गिरने करंट फैलने से बड़ा हादसा हो सकता है।

लापता नौनिहालों को ढूंढेंगे गुरुजी

तीन चरणों में चलेगा खोजो-पढ़ाओ अभियान, छुट्टी खत्म होते ही मिला बच्चों को स्कूल लाने का टारगेट

इंदौर। सवा महीने की छुट्टियों के बाद सोमवार को जब शिक्षक स्कूलों में लौटे, तो उनके टेबल पर बच्चों को पढ़ाने से पहले उन्हें ढूंढने का बड़ा जिम्मा तैयार मिला।

प्रदेश में 3 से 18 वर्ष के हजारों विद्यार्थियों ने स्कूलों से दूरी बना ली है और वे सरकारी पोर्टल से गायब हैं। इन ड्रॉपआउट बच्चों को वापस क्लासरूम तक लाने के लिए जिला शिक्षा केंद्र ने शिक्षकों को फील्ड पर उतार दिया है।

शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने के बाद स्कूल ज्वाइन करते ही चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप और सर्वे के काम में झोंक दिया गया है। आला अधिकारियों ने सख्त टारगेट दिया है कि नया शैक्षणिक सत्र पूरी तरह शुरू होने से पहले यह काम पूरा किया जाए। हालांकि, जमीनी हकीकत को देखते हुए इतने कम समय में हजारों बच्चों को ट्रैक करना शिक्षकों के लिए व्यावहारिक रूप से असंभव सा लग रहा है।

यह है प्लानिंग

स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल की चौखट तक लाने के लिए त्रि स्तरीय प्लानिंग की गई है। सबसे पहले 6 से साढ़े 7 साल तक के बच्चों की पहचान कर उनकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी।

पांचवीं से छठी और आठवीं से नौवीं कक्षा में जाने वाले उन बच्चों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, जिन्होंने अगली कक्षा में एडमिशन नहीं लिया। जो बच्चे पूरी तरह पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनकी लिस्ट शिक्षकों के मोबाइल ऐप पर भेजी जाएगी। शिक्षक सीधे उनके घर पहुंचेंगे और उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ेंगे। शिक्षकों को साफ कह दिया गया है कि इस बार सिर्फ हाजिरी नहीं लेनी है, बल्कि ड्रॉप आउट हर एक बच्चे को स्कूल लाना होगा।

भाजपा का विशेष जनसंपर्क अभियान प्रारंभ

इंदौर। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और अभियान प्रभारी हरप्रीत सिंह बवेशी ने बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे 12 वर्ष- विश्वास, विकास और जनकल्याण के अभियान के अंतर्गत विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुवात आज हुई।

सांसद शंकर लालवानी और विधायक महेंद्र हार्डिया ने वार्ड क्रमांक 48 और 54 में प्रबुद्धजनों से संपर्क करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

सांसद शंकर लालवानी और विधायक महेंद्र हार्डिया ने वार्ड क्रमांक 54 में रिटायर्ड अधिकारी बृजेश उपाध्याय और उद्योगपति अक्षय जैन के निवास पहुंचकर संपर्क कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल में भारत महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ है।

इसके पूर्व विधायक महेंद्र हार्डिया ने वार्ड 48 में सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए नागरिकों से चर्चा की। मॉर्निंग वॉकर के साथ पौधारोपण किया।

उसके पश्चात सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में दर्शन एवं पूजा अर्चना कर अपने जनसंपर्क की शुरुवात की।

उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वप्निल जैन के निवास पहुंचकर भेंट की एवं परिजनों से मुलाकात कर उन्हें भाजपा सरकारों की उपलब्धियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर पार्षद महेश बसवाल, विजयलक्ष्मी गौहर, नगर महामंत्री कैलाश पिपले, विधानसभा प्रभारी महेश जोशी , वरिष्ठ नेता परसराम वर्मा, अनिल गौहर, मंडल अध्यक्ष उमेश मंगरोला, मंडल प्रभारी कपिल पांडे, महामंत्री अजय बोरासी, गब्बर चौधरी, आनंद राय, सन्नी वर्मा, मनोहर शर्मा उपस्थित थे।

सबकी जड़ चन्दा और भ्रष्टाचार

... लोग सच माने या झूठ. किन्तु राजनीतिक चन्दा और देश की रग-रग में समाया हुआ भ्रष्टाचार ही पेपर का लीक होना, कानून-व्यवस्था का कमजोर होना, भाई-भतीजावाद फैलना, जनसामान्य के काम आसानी से न होना, नकली/असली दवाइयों/वस्तुओं का बिकना, भवनों की जांच न होकर आग की घटनाएँ बढ़ना, मेधावियों को नौकरी न मिलना, परीक्षाएं फिर चाहे चयन आयोग से होना या सीबीएसई, महंगाई व्यापम अथवा नीट आदि से होना और पेपर लीक होना या समय पर रिजल्ट न निकलने/गड़बड़ी होने से अभ्यार्थियों के सालों-साल खराब होना या एज-बार होना, शिक्षा और इलाज का महँगा होना, महंगाई का बढ़ना, चुनावी चन्दा, फिर चाहे उम्मीदवार से प्राप्त करना या व्यापारियों/उद्योगपतियों से कहीं न कहीं ये भी भ्रष्टाचार को बढ़ाने में पीछे नहीं है. ऐसी अनेक बातें हैं जो सरकार की अव्यवस्थाओं की और इंगित करती है. क्योंकि जब भ्रष्टाचार की गंगा उलटी याने उपर से बहेगी तब नीचे वालों को कौन रोकेगा ?

ऐसा नहीं है कि ये सब आज ही हुआ है. पिछले अनेक वर्षों से यह गतिमान हो रहा है. पहले कम रहा होगा किन्तु समय के साथ इसने भस्मासुर का रूप ले लिया है. अतः भ्रष्टाचार पर लगाम लगना बहुत जरुरी है ताकि उससे समाज/सरकार में फैली अनेक बीमारी दूर हो सके.

शकुंतला महेश नेनावा,
इंदौर (,म.प्र.)...फोन... 0731-4046326.

अंतर महाविद्यालयीन ऑन लाइन वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित

इन्दौर। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन (आइएमए) स्टूडेंट चैप्टर द्वारा अंतर महाविद्यालयीन ऑनलाइन वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में जल संरक्षण अभियान विषय पर चर्चा की गई। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने जल संरक्षण से जुड़े नवाचार, विचार एवं व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक डॉ. दिलीप वागेला, पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर तथा इंजीनियर महेंद्र खरे सचिव, इंडियन वॉटर वर्क्स एसोसिएशन थे। वक्ताओं ने कहा कि जल संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। विद्यार्थियों ने भारत में पाइपलाइन लीकेज, सीमित जल भंडारण क्षमता और जन-जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियों को प्रदर्शित किया। मैनेजमेंट प्रतिभागी आदर्श सोनी ने इंदौर के जल प्रबंधन मॉडल को प्रस्तुत किया। उन्होंने कबीटखेड़ी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित इंदौर की जल पुनर्चक्रण और स्वच्छता संबंधी पहलों को देश के अन्य शहरों के लिए प्रेरणादायक बताया। साथ ही सिंगापुर, इजराइल और कैपटाउन जैसे शहरों के सफल जल संरक्षण मॉडलों का भी उल्लेख किया। एसजीएसआइटीएस के प्रतिभागी आलोक मिश्रा ने स्मार्ट शहरों में वॉटर रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित करने, उद्योगों एवं सिंचाई में पुनर्चक्रित जल के उपयोग तथा जन-जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्टून कोना...